

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.**  
**“कर-भवन” अजमेर**

क्रमांक : एफ-7(37)जन/2013/पार्ट-I/ 4160-86 दिनांक : 19/2/14

1. उप पंजीयक, अजमेर प्रथम/द्वितीय,  
जयपुर प्रथम से अष्टम, सांगानेर प्रथम/द्वितीय,  
आमेर, जोधपुर प्रथम से चतुर्थ, उदयपुर प्रथम/द्वितीय
2. पदेन उप पंजीयक (नायब तहसीलदार), सराधना/अरड़का (अजमेर),  
बगरू/मुण्डोता/जालसू/रामुपरा ढाबड़ी (जयपुर),  
डांगियावास (जोधपुर)
3. पदेन उप पंजीयक (तहसीलदार), बड़गांव (उदयपुर)

विषय : पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-5 व 6 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 11.02.14 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-5 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(17)वित्त/कर/2010-89 दिनांक 11.02.14 एवं धारा-6 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(17)वित्त/कर/2010-90 दिनांक 11.02.14 जारी कर निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :-

1. पंजीयन उपजिला अजमेर की सीमा में उपजिला अरड़का एवं सराधना को सम्मिलित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार उपजिला अजमेर की उपतहसील अरड़का एवं सराधना क्षेत्र के दस्तावेजों का पंजीयन अजमेर उपजिले के उप पंजीयक, अजमेर प्रथम एवं द्वितीय द्वारा भी किया जा सकेगा।
2. पदेन उप पंजीयक (नायब तहसीलदार), अरड़का, अजमेर उपजिले की उप तहसील, अरड़का तथा पदेन उप पंजीयक (नायब तहसीलदार), सराधना, अजमेर उपजिले की उप तहसील सराधना के क्षेत्राधिकार के ही दस्तावेजों का पंजीयन कर सकेंगे।
3. पंजीयन उपजिला जयपुर की सीमा में, उपजिला बगरू, मुण्डोता, जालसू एवं रामुपरा ढाबड़ी को सम्मिलित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार उपजिला जयपुर की उप तहसील बगरू, मुण्डोता, जालसू एवं रामुपरा ढाबड़ी के दस्तावेजों का पंजीयन जयपुर उपजिले के लिये नियुक्त उप पंजीयक प्रथम से अष्टम, उप पंजीयक सांगानेर प्रथम एवं द्वितीय, उप पंजीयक आमेर द्वारा किया जा सकेगा।
4. पदेन उप पंजीयक (नायब तहसीलदार) बगरू, जयपुर उपजिले की उप तहसील बगरू, पदेन उप पंजीयक (नायब तहसीलदार) मुण्डोता, जयपुर उपजिले की उप तहसील मुण्डोता, पदेन उप पंजीयक (नायब तहसीलदार) जालसू, जयपुर उपजिले की उप तहसील जालसू तथा पदेन उप पंजीयक (नायब तहसीलदार) रामुपरा ढाबड़ी, जयपुर उपजिले की उप तहसील रामुपरा ढाबड़ी के क्षेत्राधिकार के ही दस्तावेजों का पंजीयन कर सकेंगे।
5. पंजीयन उपजिला जोधपुर की सीमा में उपजिला डांगियावास को सम्मिलित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार उपजिला जोधपुर की उपतहसील डांगियावास क्षेत्र के दस्तावेजों का पंजीयन जोधपुर उपजिले के उप पंजीयक, जोधपुर प्रथम से चतुर्थ द्वारा भी किया जा सकेगा।
6. पदेन उप पंजीयक (नायब तहसीलदार) डांगियावास, जोधपुर उपजिले की उप तहसील डांगियावास के क्षेत्राधिकार के ही दस्तावेजों का पंजीयन कर सकेंगे।

7. पंजीयन उपजिला उदयपुर की सीमा में उपजिला बड़गांव को सम्मिलित किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार उपजिला उदयपुर की उपतहसील बड़गांव क्षेत्र के दस्तावेजों का पंजीयन उदयपुर उपजिले के उप पंजीयक, उदयपुर प्रथम एवं द्वितीय द्वारा भी किया जा सकेगा।
8. पदेन उप पंजीयक (तहसीलदार) बड़गांव, उदयपुर उपजिले के लिये उप पंजीयक नियुक्त किया गया है। अर्थात् तहसीलदार (पदेन उप पंजीयक) बड़गांव द्वारा उपजिला उदयपुर के क्षेत्राधिकार के दस्तावेजों का पंजीयन किया जा सकेगा।

उपरोक्त अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है, अधिसूचनाओं में किये गये प्रावधान अनुसार दस्तावेजों का पंजीयन करें।

भ व दी य,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(रिणु जयपाल)  
अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक : एफ-7(37)जन/2013/पार्ट-I/ 4187-4210 दिनांक : 19-2-14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कलक्टर एवं जिला पंजीयक, अजमेर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
9. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाइट [www.rajstamps.gov.in](http://www.rajstamps.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(रिणु जयपाल)  
अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर



	ix.	उप रजिस्ट्रार, सागानेर-प्रथम	
	x.	उप रजिस्ट्रार, सागानेर-द्वितीय	
	xi.	उप रजिस्ट्रार, आमर	
/	xii.	नायब तहसीलदार, बगरु	जयपुर उप जिले की बगरु उप तहसील का क्षेत्र
/	xiii.	नायब तहसीलदार, मूण्डोता	जयपुर उप जिले की मूण्डोता उप तहसील का क्षेत्र
o	xiv.	नायब तहसीलदार, जालसू	जयपुर उप जिले की जालसू उप तहसील का क्षेत्र
o	xv.	नायब तहसीलदार, रामपुरा डाबड़ी	जयपुर उप जिले की रामपुरा डाबड़ी उप तहसील का क्षेत्र
	xvi.	तहसीलदार, विराटनगर	विराटनगर
	xvii.	उप रजिस्ट्रार, बस्ती	बस्ती
	xviii.	तहसीलदार, चाकसू	चाकसू
	xix.	उप रजिस्ट्रार, चौम	चौम
	xx.	तहसीलदार, मोजमाबाद	मोजमाबाद
	xxi.	तहसीलदार, जमदारामगढ़	जमदारामगढ़
	xxii.	तहसीलदार, किरानगढ़ रेनवाल	किरानगढ़ रेनवाल
	xxiii.	तहसीलदार, कोटखावदा	कोटखावदा
	xxiv.	उप रजिस्ट्रार, कोटपूतली	कोटपूतली
	xxv.	तहसीलदार, फागी	फागी
	xxvi.	तहसीलदार, सांभर	सांभर
	xxvii.	तहसीलदार, शाहपुरा	शाहपुरा
	xxviii.	नायब तहसीलदार, माधोराजपुरा	माधोराजपुरा
	xxix.	तहसीलदार, दूद	दूद
	xxx.	नायब तहसीलदार, आथी	आथी
	xxxi.	नायब तहसीलदार, तुंगा	तुंगा
	xxxii.	नायब तहसीलदार, अमरसर	अमरसर
	xxxiii.	नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
	xxxiv.	नायब तहसीलदार, मनोहरपुरा	मनोहरपुरा
	xxxv.	नायब तहसीलदार, पावटा	पावटा

3. क्रम संख्या 21 पर जोधपुर जिले से संबंधित विद्यमान अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित अभिव्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :-

21	जोधपुर	i.	उप रजिस्ट्रार, जोधपुर-प्रथम	जोधपुर
		ii.	उप रजिस्ट्रार, जोधपुर-द्वितीय	
		iii.	उप रजिस्ट्रार, जोधपुर-तृतीय	
		iv.	उप रजिस्ट्रार, जोधपुर-चतुर्थ	
		v.	नायब तहसीलदार, आंगियावास	
		vi.	तहसीलदार, बिलाडा	बिलाडा
		vii.	तहसीलदार, बालोसर	बालोसर
		viii.	तहसीलदार, भोपालगढ़	भोपालगढ़
		ix.	तहसीलदार, ओसिया	ओसिया
		x.	उप रजिस्ट्रार, फलोदी	फलोदी
		xi.	तहसीलदार, शेरगढ़	शेरगढ़
		xii.	तहसीलदार, लुणी	लुणी
		xiii.	तहसीलदार, बाप	बाप
		xiv.	उप रजिस्ट्रार, तिबरी	तिबरी
		xv.	नायब तहसीलदार, झंवर	झंवर
		xvi.	तहसीलदार, बावड़ी	बावड़ी
		xvii.	तहसीलदार, पीपाड़ शहर	पीपाड़ शहर
		xviii.	तहसीलदार, लोहावट	लोहावट
		xix.	नायब तहसीलदार, घण्टियाली	घण्टियाली
		xx.	नायब तहसीलदार, आज	आज
		xxi.	नायब तहसीलदार, मतोड़ा	मतोड़ा

xxii.	नायब तहसीलदार, सेतघया	सेतघया
xxiii.	नायब तहसीलदार, शेखासर	शेखासर

4. क्रम संख्या 33 पर उदयपुर जिले से संबंधित विद्यमान अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित अभिव्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात :-

33	उदयपुर	i.	उप रजिस्ट्रार, उदयपुर-प्रथम	उदयपुर
		ii.	उप रजिस्ट्रार, उदयपुर-द्वितीय	
		iii.	तहसीलदार, बड़गाँव	
		iv.	नायब तहसीलदार, बारापाल	बारापाल
		v.	नायब तहसीलदार, भिण्डर	भिण्डर
		vi.	तहसीलदार, गोगुन्दा	गोगुन्दा
		vii.	तहसीलदार, कोटडा	कोटडा
		viii.	नायब तहसीलदार, कानोड़	कानोड़
		ix.	तहसीलदार, खेरयाडा	खेरयाडा
		x.	नायब तहसीलदार, कुरावड	कुरावड
		xi.	नायब तहसीलदार, लसाडिया	लसाडिया
		xii.	उप रजिस्ट्रार, नावली	नावली
		xiii.	तहसीलदार, झाडोल	झाडोल
		xiv.	तहसीलदार, सलुम्बर	सलुम्बर
		xv.	तहसीलदार, सराडा	सराडा
		xvi.	तहसीलदार, बल्लभनगर	बल्लभनगर
		xvii.	नायब तहसीलदार, सनवाड़	सनवाड़
		xviii.	तहसीलदार, रिबमदेव	रिबमदेव
		xix.	तहसीलदार, सेमारी	सेमारी
		xx.	नायब तहसीलदार, सायरा	सायरा
		xxi.	नायब तहसीलदार, नयागाँव	नयागाँव
		xxii.	नायब तहसीलदार, फलासिया	फलासिया
		xxiii.	नायब तहसीलदार, झल्लारा	झल्लारा
		xxiv.	नायब तहसीलदार, गीमला	गीमला
		xxv.	नायब तहसीलदार, जयसमन्द	जयसमन्द

(एफ 2(17)वित्त/कर/2010-90)  
राज्यपाल की आज्ञा से,

(अपूर्व जोशी)

शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व)



			xi.	फागी	तहसील फागी
			xii.	सांभर	तहसील सांभर
			xiii.	शाहपुरा	तहसील शाहपुरा
			xiv.	माधोराजपुरा	उप तहसील माधोराजपुरा
			xv.	दूद	तहसील दूद
			xvi.	आधी	उप तहसील आधी
			xvii.	तूंगा	उप तहसील तूंगा
			xviii.	अमरसर	उप तहसील अमरसर
			xix.	गोविन्दगढ़	उप तहसील गोविन्दगढ़
			xx.	मनोहरपुर	उप तहसील मनोहरपुर
			xxi.	भावटा	उप तहसील भावटा

3. क्रम संख्या 21 पर जोधपुर जिले से संबंधित विद्यमान अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित अभिव्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात :-

21	जोधपुर	राजस्व जोधपुर	जिला	i.	जोधपुर	तहसील जोधपुर
				ii.	बिलाडा	तहसील बिलाडा
				iii.	बालेसर	तहसील बालेसर
				iv.	भोपालगढ़	तहसील भोपालगढ़
				v.	ओसिया	तहसील ओसिया
				vi.	फलीदी	तहसील फलीदी
				vii.	शेरगढ़	तहसील शेरगढ़
				viii.	लूणी	तहसील लूणी
				ix.	बाप	तहसील बाप
				x.	तिवरी	तहसील तिवरी
				xi.	झंवर	उप तहसील झंवर
				xii.	बायड़ी	तहसील बायड़ी
				xiii.	बीपाड़ शहर	तहसील बीपाड़ शहर
				xiv.	लोहावट	तहसील लोहावट
				xv.	घण्टियाली	उप तहसील घण्टियाली
				xvi.	आऊ	उप तहसील आऊ
				xvii.	मत्तोड़ा	उप तहसील मत्तोड़ा
				xviii.	सेतरावा	उप तहसील सेतरावा
				xix.	शेखासर	उप तहसील शेखासर


4. क्रम संख्या 33 पर उदयपुर जिले से संबंधित विद्यमान अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित अभिव्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात :-

33	उदयपुर	राजस्व उदयपुर	जिला	i.	उदयपुर	तहसील गिर्वा (उदयपुर), तहसील बड़गाँव
				ii.	बारामाल	उप तहसील बारामाल
				iii.	मिण्डर	उप तहसील मिण्डर
				iv.	गोगुन्दा	तहसील गोगुन्दा
				v.	कोटड़ा	तहसील कोटड़ा
				vi.	कानोड़	उप तहसील कानोड़
				vii.	खेरवाड़ा	तहसील खेरवाड़ा
				viii.	कुरावड़	उप तहसील कुरावड़
				ix.	लसाडिया	उप तहसील लसाडिया
				x.	मावली	तहसील मावली
				xi.	झाडोल	तहसील झाडोल
				xii.	सलुम्बर	तहसील सलुम्बर
				xiii.	सरडा	तहसील सरडा
				xiv.	बल्लभनगर	तहसील बल्लभनगर

			xv. सनवाड़	उप तहसील सनवाड़
			xvi. रिचमदेव	तहसील रिचमदेव
			xvii. सेमारी	तहसील सेमारी
			xviii. सायरा	उप तहसील सायरा
			xix. नयागांव	उप तहसील नयागांव
			xx. फलासिया	उप तहसील फलासिया
			xxi. झल्सारा	उप तहसील झल्सारा
			xxii. गीगला	उप तहसील गीगला
			xxiii. जयसमन्द	उप तहसील जयसमन्द

5. सारणी के नीचे विद्यमान नोट को निम्नलिखित नोट से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :-  
 "नोट: पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 5 के तहत घोषित रजिस्ट्रीकरण उप जिलों में उपजिला अजमेर, उपजिला जयपुर एवं उपजिला जोधपुर की तहसीलों की उपतहसीलों को छोड़कर अन्य उपजिले में सम्मिलित तहसीलों के क्षेत्राधिकार में उनकी उप तहसीलों का क्षेत्राधिकार सम्मिलित नहीं होगा।"

(एफ. 2(17)वित्त/कम/2010-89)  
 राज्यपाल की आज्ञा से,

  
 (अपूर्व जोशी)  
 शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

  
 शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व)